उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

बिन्दु–1

संगठन का विवरण, कार्य एवं कर्तव्यः–

राज्य सरकार महिलाओ के सांविधिक अधिकारों के संरक्षण और उनके समुचित विकास एवं कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उक्त उददेश्य की प्राप्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम 2013 का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 4(1) व 5(1) में यथा प्राविधानित आयोग के कार्यकरण एवं कृत्यों के दक्ष पालन हेतु अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं 25 सदस्यों व सदस्य सचिव सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के 94 पदों का शासन द्वारा सृजन किया गया है, विवरण निम्नवत् हैः–

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अध्यक्ष	1
2	उपाध्यक्ष(द्वय)	2
3	सदस्य	25
4	सदस्य सचिव	1
5	विधि अधिकारी (महिला)	1
6	वित्त एवं लेखाधिकारी	1
7	सहायक निबन्धक	1
8	प्रचार–प्रसार अधिकारी	1
9	निजी सचिव	3
10	वैयक्तिक सहायक	3
11	सहायक विधि अधिकारी	1
12	प्रशासनिक अधिकारी	1
13	कार्यालय अधीक्षक	1
14	शोध सहायक	1
15	लेखाकार	1
16	विधि सहायक	2
17	आशुलिपिक ग्रेड–1	2
18	वरिष्ठ सहायक़	1
19	महिला काउंसलर	1
20	महिला अधिवक्ता	2
21	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–B	1
22	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–A	3
23	आशुलिपिक ग्रेड–II	7
24	वरिष्ठ लिपिक	2
25	कनिष्ठ लिपिक	9
26	चालक	1
27	अर्दली	1
28	चौकीदार	1
29	डाक रनर	2
30	चपरासी	14
31	स्वीपर	1
कुल योग		**94**

कृत्य (**Functions**) :– उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथासंशोधित 2007 की धारा 9(1) के अतंर्गत किया गया है। आयोग के मुख्य कृत्य निम्नवत् है–
आयोग समस्त या किसी निम्नलिखित कृत्य का पालन करेगा, अर्थातः–

(क) संविधान और अन्य विधियों के अधीन महिलाओं के लिए उपबन्धित रक्षोपायों से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना,

(ख) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर वार्षिक और ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ग) महिलाओं की दशा सुधारने के लिए उन रक्षोपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसी रिपोर्ट में राज्य सरकार को सिफारिश करना।

(घ) महिलाओं को प्रभावित करने वाले संविधान और अन्य विधियों के विद्यमान उपबंधों का समय–समय पर पुनर्विलोकन करना और उनके संशोधनों की सिफारिश करना जिससे कि ऐसे विधानों में किसी कमी, अपर्याप्तता या त्रुटियों को दूर करने के लिए उपचारी विधायी उपायों का सुझााव दिया जा सके।

(ड.) महिलाओं से सम्बन्धित संविधान और अन्य विधियों के उपबन्धों के अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(घ) निम्नलिखित मामलों से सम्बन्धित विशिष्ट शिकायतों पर विचार करना और स्वप्रेरणा से उनका संज्ञान लेनाः–

1.महिलाओं के अधिकारों का वंचन,

2.महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए और समता तथा विकास या उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अधिनियम विधियों का अक्रियान्वयन।

3.महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने तथा उनको अनुतोष उपलब्ध कराने के प्रयोजनार्थ नीतिगत विनिश्चयों, दशा निर्देशों या अनुदेशों का अनुपालन और ऐसे मामलों में उद्भूव विवादयकों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

(छ) महिलाओं के विरूद्ध विभेद और अत्याचारों से उद्‌भुत विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों का विशेष अध्ययन या अन्वेषण कराना और बाधाओं का पता लगाना जिससे कि उनको दूर करने के लिए कार्य योजनाओं की सिफारिश की जा सके।

(ज) संवर्धन और शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धान करना जिससे कि महिलाओं का सभी क्षेत्रों में सम्यक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव दिया जा सके और उनकी उन्नति में अड़चन डालने के लिये उत्तरदायी कारणों का पता लगाया जा सके जैसे आवास और मूलभूत सेवाओं की प्राप्ति में कमी, उबाऊपन और उपजीविकाजन्य स्वास्थ्य परिसंकटों को करने और महिलाओं की उत्पादकता की वृद्धि के लिए सहायक सेवाओं और प्रोद्योगिकी की अपर्याप्तता।

(झ) महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाहदेना।

(ञ) राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ट) किसी जेल, सुधार गृह, महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थान का जहां महिलाओं को बंदी के रूप में या अन्यथा रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और यदि आवश्यक हो, उपचारी/कार्यवाही के लिए संबंधित प्राधिकारियों से बातचीत करना।

(ठ) बहुसंख्यक महिलाओं को प्रभावित करने वाले प्रश्नों से सम्बंन्धित मुकदमों के लिए धन उपलब्ध कराना।

(ड) महिलाओं से सम्बंधित किसी विषय पर और विशेषकर उन विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जिनके अधीन महिलाएं कार्य करती है, राज्य सरकार को सामाजिक या विशिष्ट रिर्पोट देना।

(ढ) ऐसी परिस्थितियों की, जिनमें महिलाएं फैक्ट्रियों, प्रतिष्ठानों, निर्माण स्थलों या किन्ही अन्य स्थानों में काम करती हो, जांच करना और उनके काम की दशाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार को संस्तुति देना।

(ण) सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में महिलाओं के विरूद्ध अपराधों से, जिसमें विवाह, दहेज, बलात्संग, व्यपहरण, अपहरण, छेड़–छाड़ और महिलाओं के अनैतिक व्यापार से सम्बन्धित अपराध भी सम्मिलित है

और प्रसव कराने या नसबन्दी या प्रसव या शिशु जन्म में चिकित्सीय उपेक्षा के मामलों से, सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन करना।

(त) महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार से सम्बन्धित मामलों से निपटने के लिए सृजित राज्य पुलिस प्रकोष्ठ या सम्भागीय पुलिस प्रकोष्ठ से समन्वय करना और सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनमत तैयार करना जिससे ऐसे अत्याचारों के अपराधों की तेजी से खबर देने और उनका पता लगाने और अपराधी के विरूद्ध वातावरण तैयार करने में सहायता दी जा सकें।

(थ) अपने कृत्यों के पालन में धारा–17 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैछिक संगठन की सहायता लेना,

(द) कोई अन्य विषय जिसे राज्य सरकार उसे निर्दिष्ट करें।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, आयोग की रिपार्ट और उसके साथ उसकी सिफारिशों पर की गई या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही और ऐसी किसी सिफारिश को अस्वीकार किये जाने के कारण, यदि को हो, का स्पष्टीकरण देते हुए ज्ञापन रखवाएगी।

कर्तव्य (**Duties**):– उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन, उ0प्र0 राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 यथासंशोधित 2007 की धारा 10 के अतंर्गत किया गया है। आयोग के मुख्य कर्तव्य निम्नवत् है–

किसी वाद का विचारण करने में सिविल न्यायालय को प्राप्त सभी शक्तियां आयोग की धारा–9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) और (दो) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करते समय और विशेषतः निम्नलिखित मामलों के संबंध में प्राप्त होगी, अर्थात्–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना।

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना।

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना।

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।